

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विजोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-648RAABarmer2025-319RTA223 Dhapu kanwar ors Vs Swarupsingh etc
2025-577RAABarmer2025-281RTA223 Dhapu kanwar ors Vs Swarupsingh etc

01. धापु कंवर पत्नी माधुसिंह
02. लाधु कंवर पुत्री माधुसिंह
जाति राजपूत निवासी गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. स्वरूप सिंह पुत्र दुर्गसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र बूलीदान सिंह
3. अणद सिंह पुत्र बूलीदान सिंह
4. आईदान सिंह पुत्र बूलीदान सिंह
5. सांगसिंह पुत्र बूलीदान सिंह
6. देवीसिंह पुत्र बूलीदान सिंह
7. सुआ कंवर पत्नी खुमाण सिंह
8. नरपत सिंह पुत्र खुमाणसिंह
9. सांगसिंह पुत्र राणसिंह
10. लखसिंह पुत्र राणसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान गिड़ा जिला बालोतरा।
11. जबरसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा खारडा
12. अभिषेक कंवर पत्नी कालुसिंह जाति राजपूत निवासी चैनपुरा
13. बाबू कंवर पत्नी सांगसिंह
14. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह
15. श्रीमती पिंकी कंवर पत्नी देवीसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान गिड़ा जिला बालोतरा
16. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गिड़ा
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गिड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु राजस्व मूल वाद
संख्या 65/2021 अनवान दुर्गसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित—

श्री जगदीश गोदारा, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02, 04, 07 से 12 व 14

02. 2025-577RAABarmer2025-281RTA223 Dhapu kanwar ors Vs Swarupsingh etc

01. धापु कंवर पत्नी माधुसिंह
02. लाधु कंवर पुत्री माधुसिंह
जाति राजपूत निवासी गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ब
ना
म

1. स्वरूप सिंह पुत्र दुर्गसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र बूलीदान सिंह
3. अणद सिंह पुत्र बूलीदान सिंह
4. आईदान सिंह पुत्र बूलीदान सिंह
5. सांगसिंह पुत्र बूलीदान सिंह
6. देवीसिंह पुत्र बूलीदान सिंह
7. सुआ कंवर पत्नी खुमाण सिंह
8. नरपत सिंह पुत्र खुमाणसिंह
9. सांगसिंह पुत्र राणसिंह
10. लखसिंह पुत्र राणसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान गिड़ा जिला बालोतरा।
11. जबरसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा खारडा
12. अभिषेक कंवर पत्नी कालुसिंह जाति राजपूत निवासी चैनपुरा
13. बाबू कंवर पत्नी सांगसिंह
14. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह
15. श्रीमती पिकी कंवर पत्नी देवीसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान गिड़ा जिला बालोतरा
16. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गिड़ा
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गिड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु राजस्व मूल वाद
संख्या 65/2021 अनवान दुर्गसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित—

श्री जगदीश गोदारा, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02, 04, 07 से 12 व 14

निर्णय

दिनांक : 25 मार्च 2026

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 अनवान दुर्गसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमश दिनांक 06 नवंबर 2025 एवं 15 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।



राजस्व अपील प्राधिकारी
बादमेर

अपील संख्या 319/2025 के अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनों अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति, पक्षकारान् समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील के साथ एक-एक निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या एक/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात मौजा गिड़ा तहसील गिड़ा के खसरा नंबर 314 रकबा 19.2387 हैक्टेयर, खसरा संख्या 391/121 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 404/314 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 121 रकबा 2.1286 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 409/121 रकबा 5.2933 हैक्टेयर के संबध में घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 319/2025 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 के पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील संख्या 281/2025 प्रस्तुत की गई है।


बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में अपनी लिखित बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्तगण तथा उत्तरदातागण की संयुक्त शामलाती व पैतृक भूमि मौजा गिड़ा पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 19.2387 हैक्टेयर, खसरा संख्या 391/121 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 404/314 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 121 रकबा 2.1286 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 409/121 रकबा 5.2933 हैक्टेयर के आये हुए है, जिसमें अपीलान्तगण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा तथा खसरा संख्या 312, 313 में अपीलान्तगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। इन हिस्सों के माफिक अपीलान्तगण का मौके पर कब्जा व काश्त है, जिसमें ढाणी, टांके, चार बाड़े, पशु बाड़े इत्यादि बनाये हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को भिजवाये गये सम्मन उन्हें कभी मिले ही नहीं। रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा तहसील गिड़ा के सवार/कुनिन्दा से मिली भगत करके अपीलान्तगण के फर्जी अंगुठा साईन करके उनके सम्मन न्यायालय में वापिस भिजवा दिये गये, जबकि अपीलान्तगण संख्या 1 करीबन 80 साल की विधवा, वृद्ध औरत है जो अपने सामाजिक परम्पराओं के अनुसार घर से बाहर नहीं निकलती है तथा अपीलान्त संख्या 2 अपने ससुराल गांव मोडरडी जिला जैसलमेर में रहती है तथा उसका पुत्र नाबालिग है और वह जिला जैसलमेर में पढ़ता है। इसलिए उक्त वाद बाबत अपीलान्तगण को कोई जानकारी नहीं थी और अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना तामील मानी गई है तथा दिनांक 20/07/2022 को बाले बाले अपीलान्तगण के खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अमल में लाई जाकर दिनांक 06/02/2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा का आदेश जारी किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये सभी पक्षकारान् की भूमि का विभाजन का आदेश पारित न कर केवल वादी के हिस्से की भूमि को शेष प्रतिवादीगण से अलग करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व जारी सम्मन भी पूर्व की भांति गलत तरीके से तामील करवाये गये तथा अपीलान्तगण को सुचना दिए बगैर तहसीलदार गिड़ा व उनके अधीनस्थ कर्मचारीयों से वादी/उत्तरदाता संख्या 1 ने मिली भगत करके जहां अपीलान्तगण के कब्जा काश्त जो गिड़ा गाँव की आबादी भूमि के पास तथा गिड़ा से जाजवा जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, वह रेस्पो. संख्या एक हिस्से में रख दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसरं प्रदान किये बिना दिनांक 09/09/2025 को उसी दिन अंतिम डिक्री जारी कर दी गई तथा उसके बाद जब वादी/उत्तरदाता संख्या 1 और कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर अपीलांट्स के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे, तब इस वाद के फैसले की जानकारी अपीलान्तगण को प्रथम बार हुई। विचारण न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 319/2025 अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 अनवान दुर्गसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में दर्ज हक-हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात के दर्ज हक-हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाहमेर

पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 319/2025 को प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मौजा गिडा तहसील गिडा के खसरा नंबर 314 रकबा 19.2387 हैक्टेयर में वादी के पूर्व में गलत दर्ज 1/15 हिस्से को दुरुस्त करते हुए उसके स्थान पर 1/8 हिस्सा करते हुए तथा शेष खसरा संख्या 391/121 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 404/314 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 121 रकबा 2.1286 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 409/121 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में वादी के अद्यतन जमाबंदी में दर्ज हक-हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु तहसीलदार गिडा को निर्देश दिये गये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक-हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से उनके हक-हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।


विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.06.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार गिडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है तथा काश्तकार के वादग्रस्त आराजीयात दर्ज हिस्से के समानुपात में उन्हें सड़क पर भूमि नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 विधिसम्मत पाये जाने से उसके विरुद्ध अपील अपील संख्या 319/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाहमेर

स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 281/2025 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 अनवान दुर्गसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देशके साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार गिड़ा स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तथा अपीलांट्स सहित सभी पक्षकारान् की जोत का विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का विधिनुसार अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओमप्रकाश प्रसाद प्रसाद)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर